

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण ने राजस्थान शिक्षा सेवा व निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन ग्रेड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर घयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बुद्धराम, नागौर	10.12.73	भौतिक	06.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	06.09.17
2.	वासुदेव सोनी, सायला (जालौर)	03.05.68	भौतिक	06.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	06.09.17
3.	नीरज कुमार गुप्ता, गोगेलाव (नागौर)	21.01.73	भौतिक	25.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	25.09.17
4.	शान्ति बोहरा, बा. बाड़मेर	05.10.65	गणित	16.12.87	डीपीसी	30 वर्ष	6000	01.07.17

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किया जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 31/01/18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरेश कुमार सुमन सुमली खुर्द, झुझुनु	25.11.69	01.07.95 व.अ.	डीपीसी 09-10	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-15
2	मंकज कुमार साहुलशहर, गंगानगर	15.08.75	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 10-11	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17
3	देवी शंकर वर्मा खजुरी, भीलवाडा	15.05.71	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 11-12	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17
4	बलवीर सिंह नेहरा दौरासर, झुझुनु	25.07.64	16.09.97 व.अ.	डीपीसी 13-14	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	16-09-17
5	पन्ना लाल सेनी बांदीकुई, दौसा	09.01.70	01.07.97 व.अ.	डीपीसी 12-13	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-17

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक 31/01/18

क्रमांक-शिविरा-भा/संस्था/सी-8/राज0वि0/एसीपी/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.....
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II).....
- 03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 04- संबंधित संस्था प्रधान राजमावि
- 05- संबंधित कार्मिक
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर सतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्या. भय विषय एवं पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिलीप सिंह यादव, व्याख्याता संस्कृत, राउमावि सीकरी, भरतपुर	05.03.1973	डीपीसी	01.07.1997	II 20 वर्षीय	93100-34800	5400	01.07.2017
2	प्रकाश चन्द सुथार व्या. अंग्रेजी राउमावि खिवान्दी, पाली	03.07.1967	डीपीसी	01.07.1997	II 20 वर्षीय	9300-34800	5400	01.07.2017
3	हीरालाल मेघवाल व्या. अंग्रेजी राउमावि रीछवा, झालावाड़	12.04.1971	डीपीसी	01.07.1997	II 20 वर्षीय	9300-34800	5400 [^]	01.07.2017

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 01-02-2018

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर